# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल ( भीलवाड़ा )

**पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.**

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 01/21 प्रा. पत्र

1- जगदीश चन्द्र s/o मोहन लाल स्वर्णकार, निवासी- मांडल त० मांडल

--प्रार्थी

बनाम

1- श्री रतन s/o माधु रेगर निवासी लिरडिया तहसील मांडल
2. श्री गंगर s/o गोकुल ... निवासी- लावडी तहसील - मांडल
3. श्री काली w/o रतन ... निवासी- मांडल तहसील - मांडल
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सा० मांडल

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 13.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......लिरडिया......पटवार हल्का......लावडी......तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं......994/8......कुल किता ......01...... रकबा......0.7588......हेक्टेयर......—......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ्ढी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......13.11.21......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ्ढी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......लिरडिया...... पटवार हल्का......लावडी......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं......994/8...... ......कुल किता......01......रकबा......0.7588......हेक्टेयर...... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ्ढी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ्ढी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक......मौजा......को ......500/-....../- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे ... स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ्ढी की जावें । ... ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
मांडल, जिला भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ्ढी करवा जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021